SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF
Case No 19.5/17 Complain or report made on
Name and address of the Complainant.
Name , parentage,caste and address of accused
विवेक डा॰ कुपाराम शर्मी उम्न- 82 साल मि. शाम पुर यामा गा
The offence, complainant of, and date of, its alleged commission
आपने दिनांक 23.69.17 को समय लगमग 1:00 बजे, स्थान अग्रिटा विराहा अंतर्गत थाना अग्रहड़ में वाहन के चलाया और
अग्रिकितिस्थि अतर्गत थाना अग्रिट म वाहन
इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया है जो कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146/196 M V Act के तहत दण्डनीय अपराध है और इस
न्यायालय के संज्ञान में आता है।  क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
Judicial Magistrate First Cla

अपराध स्वेच्छ्या स्वीकार है।

Judicial Marking

Gohad die telebi

The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

े किन्त्र एक्ट की
01. आरोपी को स्वेच्छिक सस्वीकृति के आधार पर उसे मोटर व्हीकल एक्ट की के तहत
धारा , 146/136 M-V Act
के ना नेक्सिट तहराया जाता है।
क विकास किया गया। आरोपी के विकास जानराज
(A A
पूर्व दोषसिद्धि अमिलिखित नहीं है। अत आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को पूर्व दोषसिद्धि अमिलिखित नहीं है। अत आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को वृष्टिगत रखते हुये आरोपी चित्र की कुपाराम कार्म के हैं उर्वास कि क्यां के विकास के किया कि
दृष्टिगत रखते हुये आरोपी विष्यु अण् विषय विषय विषय विषय विषय विषय विषय विषय
The miles of all
के अपने में चिट्टोब पाते हुए कुमब साथ रूपय
तहत दण्डनीय अपराध के आराप न तिस्वपान कर्ण ( 1000 ) के
के नित्र किया जाता है।
03. अर्थदण्ड संदाय में व्यतिक्रम की दषा में अभियुक्त को 10 दिवस की
० ने नामा कागतास से भगतासा जावे।
अवाध के साधारण कारावारा रा उ
उसके पंजीकृत स्वामी को लौटाया जाये।

मेरे निर्देशन पर टंकित Mografiate First Class d distt. Brind (M.P.)